


17.12.2025

पत्रावली आज पेस हुई। प्रार्थी अधिवक्ता
श्री कुसेन्द्र-चौधरी उपस्थित। पैरोकार सरकार
उपस्थित दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।
प्रार्थी अपीलकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त
तथ्यों को इच्छित रखते हुए प्रार्थी अपीलकर्ता
की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 5 भारतीय सिविल
अधिसभ्यता को स्वीकार किया जाकर अपीलकर्ता
द्वारा गवर्नरीलर अपील के द्वारा स्वीकार
नामान-संरक्षण संख्या 1519 दिनांक 24.05.2016
के विकट अपील प्रस्तुत करने में हुई त्रुटि
की जावाब को सुन लिया जाता है सिविल
सेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार
दोहर नम्बर से इस ही रूप में पत्रावली के
साथ नली है।


(अल्पा-चौधरी)
जिला कलेक्टर, तिरोही